रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO D L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 261] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 16, 2000/कार्तिक 25, 1922
No. 261] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 16, 2000/KARTIKA 25, 1922

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2000

प्रारंभिक निष्कर्ष

विषय : सऊदी अरब, इरान, जापान, यू एस ए और फ्रांस से सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे आमतौर पर कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है, के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जाँच

56/1/99 डी जी ए डी.—वर्ष 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 को ध्यान में रखते हुए :

(क) प्रक्रिया

1. जाँच के प्रयोजन से नीचे उल्लिखित प्रक्रिया का पालन किया गया है :

(i) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद प्राधिकारी भी कहा गया है) को उपर्युक्त नियमों के अंतर्गत याचिकाकर्त्ता मै. अल्कली मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ए एम ए आई) से घरेलू उद्योग की ओर से एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें सऊदी अरब, इरान, जापान, यू एस ए, फ्रांस, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के मूल के या वहाँ से निर्यातित सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे आमतौर पर कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है (जिसे इसके बाद संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाया गया था।

(ii) याचिकाकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन की प्रारंभिक संवीक्षा से कुछेक कमियों का पता चला था, जिन्हें बाद में याचिकाकर्त्ता द्वारा दूर कर दिया गया था। इस प्रकार याचिका को उचित रूप से प्रलेखित माना गया था।

(iii) प्राधिकारी ने याचिकाकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर सऊदी अरब, इरान, जापान, यू एस ए और फ्रांस (जिन्हें इसके बाद संबद्ध देश कहा गया है) से संबद्ध वस्तु के आयातों के विरुद्ध जाँच शुरू करने का निर्णय लिया। इन्डोनेशिया से हुए संबद्ध वस्तु के आयात निर्धारित सीमा से कम पाए गए थे और याचिकाकर्त्ता ने पाकिस्तान से हुए

संबद्ध वस्तु के आयातों के बारे में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए थे और इसलिए दोनों संबद्ध देशों को मौजूदा पाटनरोधी जॉच के दायरे से बाहर रखा गया था । प्राधिकारी ने नियमावली के उप-नियम 5(5) के अनुसार जाँच शुरू करने की कार्रवाई से पहले पाटन के आरोप की प्राप्ति के बारे में सऊदी अरब, इरान, जापान, यू एस ए और फ्रांस के नई दिल्ली स्थित दूतावासों को सूचित किया।

(iv) प्राधिकारी ने दिनांक 26.5.2000 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया जिसके द्वारा सऊदी अरब, इरान, जापान, यू एस ए और फ्रांस के मूल के या वहॉ से निर्यात किए गए सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची- I के सीमाशुल्क कोड 2815.11 और 2815.12 के अंतर्गत वर्गीकृत संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जॉच शुरू की गई थी।

(v) प्राधिकारी ने सार्वजनिक सूचना की प्रति सभी ज्ञात निर्यातकों (जिनका ब्यौरा याचिकाकर्त्ता द्वारा उपलब्ध करवाया गया था) और उद्योग एसोसिएशनों को भेजी और नियम 6(2) के अनुसार उन्हें लिखित रूप में अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया।

(vi) प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तु के सभी ज्ञात आयातकों (जिनके ब्यौरे याचिकाकर्त्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए थे) को सार्वजनिक सूचना की एक-एक प्रति भेजी और उन्हें सलाह दी कि इस पत्र के जारी होने की तारीख से चालीस दिनों के भीतर लिखित रूप में अपने विचारों से अवगत कराएं।

(vii) केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सी बी ई सी) से भी अनुरोध किया गया कि जाँच की अवधि सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में किए गए संबद्ध वस्तु के आयातों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की व्यवस्था की जाए।

(viii) प्राधिकारी ने उक्त नियम 6(3) के अनुसार याचिका की प्रति ज्ञात निर्यातकों और संबद्ध देशों के दूतावासों को उपलब्ध की । याचिका की प्रति अन्य हितबद्ध पार्टियों, जहॉ कहीं अनुरोध किया गया, को भी उपलब्ध करवाई गई थी।

(ix) प्राधिकारी ने नियम 6(4) के अनुसार संगत सूचना माँगने के लिए निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों को प्रश्नावली भेजीः

1. मै0 डोव केमिकल्स कं0, यू एस ए
2. मै0 मित्सुई एंड कं0 लिमि., जापान
3. मै0 एस ए बी आई सी, सऊदी अरब
4. मै0 एल्फ एटोकेम, फ्रांस
5. मै0 सिराज क्लोर अल्काली, इरान
6. मै0 बन्दार इमाम प्रोजेक्ट, इरान

(x) संबद्ध देशो के नई दिल्ली स्थित दूतावासों को इस अनुरोध के साथ नियम 6(2) के अनुसार जॉच शुरू करने के संबंध में सूचना दी गई थी कि वे अपने-अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को प्रश्नावली का निर्धारित समय के भीतर उत्तर देने की सलाह दें । निर्यातकों को भेजे गए पत्र, याचिका और प्रश्नावली की प्रति ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों की सूची सहित संबद्ध देशों को भी भेजी गई थी।

(xi) नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मॉगने के लिए संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/उपयोक्ता एसोसिएशनों को एक प्रश्नावली भेजी गई थीः

1. मै0 अभय कैमिकल्स लिमि., बड़ौदा
2. मै0 अलब्राइट विलसन केमिकल लिमि., मुम्बई
3. मै0 अरविन्द मिल्स लिमि., अहमदाबाद
4. मै0 बिड़ला सेल्यूलोज लिमि., भरूच
5. मै0 सेन्ट्रल पल्प मिल्स लिमि., दिल्ली
6. मै0 दीपक नाइट्राइट लिमि., नन्देसरी
7. मै0 गोदरेज सोप्स लिमि., मुम्बई
8. मै0 गुजरात इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड, बडोदरा
9. मै0 गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर्स कं0 लिमि., भरूच
10. मै0 गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लिमि., बडोदरा
11. मै0 हिन्दुस्तान लीवर लिमि., मुम्बई
12. मै0 आई सी आई इंडिया लिमि., वलसाड
13. मै0 इंडियन फारमर फर्टिलाइजर्स कोआप. लिमि., गांधीनगर
14. मै0 इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमि., बडोदरा
15. मै0 इंडियन पेट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लिमि., बडोदरा
16. मै0 जयसिन्थ डाइकैम लिमि., मुम्बई
17. मै0 लिन्क फार्मा लिमि., बड़ौदा
18. मै0 मेघमणि आर्गेनिक्स लिमि., अहमदाबाद
19. मै0 नर्मदा केमाटर पेट्रोकैमिकल्स लिमि., भरूच
20. मै0 निरमा लिमि., अहमदाबाद
21. मै0 पी ए बी केमिकल्स (प्रा0) लिमि., बड़ौदा
22. मै0 रामा न्यूज प्रिन्ट्स एंड पेपर्स लिमि., सूरत
23. मै0 रूबामिन लिमि., बड़ौदा
24. मै0 सबेरो ऑर्गेनिक्स लिमि., मुम्बई
25. मै0 टोरेन्ट गुजरात वायो-टेक लिमि., बड़ौदा
26. मै0 ट्रांसपेक इंडस्ट्रीज लिमि., बड़ोदरा

प्रश्नावली/अधिसूचना का उत्तर/सूचना निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत की गई थीः-

1. मै0 डोव कैमिकल्स कं0, यू एस ए
2. मै0 मित्सुई एंड कं0 लिमि., जापान
3. मै0 सऊदी पेट्रो कैमिकल्स कं0 (एस ए डी एफ), सऊदी अरब और

उसके सहयोगी निर्यातक मै0 सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कॉर्पो0 (एस ए बी आई सी), सऊदी अरब ।

प्रश्नावली/अधिसूचना का उत्तर/सूचना निम्नलिखित आयाताकों/उपयोक्ता एसोसिएशनों द्वारा प्रस्तुत की गई थीः

1. मै0 नेशनल अल्युमिनियम कं0 लिमि., (नाल्को)
2. मै0 ट्रांसपेक इंडस्ट्री लिमि.
3. मै0 दीपक नाइट्राइट लिमि.

(xii) याचिकाकर्त्ता(ओं) से क्षति और विचाराधीन उत्पाद के बारे में अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी जो उन्होंने प्रस्तुत भी कर दी थी । याचिकाकर्त्ता द्वारा क्षति और उत्पादन लागत के बारे में सूचना उपलब्ध करवायी गई थी;

(xiii) प्राधिकारी ने सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के अगोपनीय अंश को उपलब्ध रखा और उसे हितबद्ध पार्टियों द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रखा;

(xiv) सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जी ए ए पी) तथा याचिकाकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तु की ईष्टतम उत्पादन लागत, निर्माण तथा उसकी बिक्री लागत निकालने के लिए लागत संबंधी जाँच भी की गई थी । निम्नलिखित घरेलू उत्पादकों के लागत संबंधी आंकड़ों पर विचार किया गया और उनका विश्लेषण किया गया थाः-

1. मै0 डी सी डब्ल्यू लिमिटेड, तमिलनाडु
2. मै0 श्रीराम अल्कालीज एंड केमिकल्स, नई दिल्ली
3. मै0 दि आन्ध्रा सुगर्स लिमि., आन्ध्र प्रदेश
4. मै0 पंजाब अल्कालीज एंड कैमिकल्स लिमि., चंडीगढ़
5. मै0 गुजरात अल्कालीज एंड कैमिकल्स लिमि., बड़ोदरा
6. मै0 एस आई ई एल कैमिकल काम्प्लैक्स, नई दिल्ली
7. मै0 सर्च कैम इंडस्ट्रीज लिमि., भरूच
8. मै0 बिहार कॉस्टिक
9. मै0 जयश्री कैमिकल्स लिमि., कलकत्ता
10. मै0 इंडियन रेयान
11. मै0 ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमि., नागदा, म.प्र.

12. मै0 स्टेन्डर्ड अल्क लीज़

(xv) इस अधिसूचना में **** किसी हितबद्ध पार्टी द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का द्योतक है और प्राधिकारी ने नियमों के अधीन उसे गोपनीय ही माना है ।

(xvi) जांच अप्रैल, 1998 से शुरू होकर सितम्बर, 1999 (18 माह) की अवधि/जांच अवधि की अवधि के लिए की गई थी ।

(xvii) कुछेक हितबद्ध पार्टियों के अनुरोध पर प्राधिकारी द्वारा सूचना प्रस्तुत करने की अवधि को भी 23.7.2000 तक बढ़ा दिया गया था ।

ख. निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पार्टियों के विचार

1. याचिकाकर्त्ता के विचार

(क) विचाराधीन उत्पाद के संबंध में

(i) सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आमतौर पर कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है, एक अकार्बनिक, साबुनी, अत्यन्त क्षारीय और गन्धहीन रसायन है । इसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में होता है जैसे कि लुग्दी और कागज के विनिर्माण, अखबार, चिपचिपा यार्न, स्टेपल फाइबर, अल्यूमीनियम, कपास, वस्त्र, प्रसाधन व धुलाई साबुन, अपमार्जक, रंजक, औषध एवं भेषज, पेट्रोलियम शोधन इत्यादि । कास्टिक सोडा का उत्पादन दो रूपों अर्थात् द्रव और ठोस रूप में होता है और यह सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के अधीन वर्गीकृत हैं । इसे अगेऔर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वर्गीकरण (एकीकृत वस्तु विवरणी और कोडिंग प्रणाली पर आधारित) के अनुसार शीर्ष 2815.11 और 2815.12 के अधीन वर्गीकृत किया गया है ।

(ख) घरेलू उद्योग के संबंध में

(i) मै0 अल्क लीज मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ए एम ए आई) घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करती है । भारत में कास्टिक सोडा के लगभग 42 घरेलू विनिर्माता हैं । इस याचिका का 12 घरेलू उत्पादकों ने स्पष्ट तौर पर समर्थन किया है । याचिकाकर्त्ता कंपनियों का जांच अवधि में सम्बद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादन के 50 % से अधिक का हिस्सा बनता है ।

(ख) समान वस्तु के संबंध में

(i) कास्टिक सोडा के लिए कोई व्यवहार्य स्थानापन्न नहीं है ।

(ii) कास्टिक सोडा तीन प्रक्रियाओं द्वारा उत्पादित किया जाता है अर्थात् मरकरी सैल, डायफ्रेम तथा मैम्ब्रेन सैल प्रक्रिया । प्रक्रिया में अंतर का अभिप्राय यह नहीं है कि इसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों, उत्पाद विनिर्देशनों, विपणन, कीमत निर्धारण, उपभोक्ता अवधारणाओं, टैरिफ वर्गीकरण इत्यादि के संबंध में उत्पाद में कोई अंतर है । ये तीनों प्रौद्योगिकियाँ भारत में उद्योगों द्वारा कास्टिक सोडा के विनिर्माण के लिए उपयोग की जा रही हैं । तथापि मरकरी सैल प्रौद्योगिकी और मैम्ब्रेन सैल प्रौद्योगिकी का भारत में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है । इसके अलावा, इन तीनों प्रक्रियाओं द्वारा उत्पादन करने में कोई खास अंतर नहीं है । भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और सम्बद्ध देशों से आयातित कास्टिक सोडा में ऐसा कोई अन्तर नहीं है जिसका कीमत पर कोई प्रभाव पड़ता हो । ये दोनों उत्पाद तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ता उनका एक दूसरे के स्थान पर उपयोग करते हैं ।

(iii) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु सम्बद्ध देशों से उत्पादित, वहॉ के मूल की अथवा वहॉ से निर्यातित वस्तु के समान वस्तु है ।

(घ) **पाटन के संबंध में**

(i) 115 अमरीकी डालर/मी0 टन की निर्यात कीमत की कारखाना-गत प्राप्ति लगभग 55 अमरीकी डालर/मी0 टन बनती है और इसे किसी भी प्रकार से उत्पादन लागत को वसूल करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता । निःसंदेह सम्बद्ध देशों के विदेशी उत्पादकों ने भारतीय बाजार में कास्टिक सोडा का पाटन किया है ।

(ड) **क्षति के संबंध में**

(i) कास्टिक सोडा का उत्पादन भारत में लगभग 42 कंपनियों द्वारा किया जाता है । देश इस विशिष्ट सामग्री की अपनी आवश्यकता को पूरा करने में काफी हद तक सक्षम है ।

(ii) निर्यात बिक्री में तेजी से आई गिरावट के कारण आयातों की पहुॅच कीमत, जो कि बाजार में उचित कीमत से पहले ही कम चल रही थी, उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम हो गई है ।

(iii) जांच अवधि के दौरान निर्यात कीमत में अत्यधिक गिरावट आई है ।

(iv) यद्यपि बिक्रियों में वृद्धि हुई है तथापि उन कीमतों, जिन पर घरेलू उद्योग अपने उत्पाद की बिक्री कर रहा है, के साथ-साथ कीमत में कटौती, कीमत में कमी तथा कीमत में कमी के उस प्रभाव को भी देखना होगा जो पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग पर डाला है । सम्बद्ध देशों से हुए आयातों की पहुॅच कीमतें भारतीय उद्योग की बिक्री कीमतों से काफी कम हैं

जिसके परिणामस्वरूप कीमतों में भारी कटौती की गई है । सम्बद्ध देशों से हुए आयातों के पाटन के कारण घरेलू उद्योग को बिक्री की हानि हुई है ।

(v) भारतीय उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है जैसा कि भारतीय बाजार में बिक्री कीमत में हुई कमी से देखा जा सकता है । आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में भारी कटौती हो रही है ।

(vi) घरेलू उद्योग अपना बाजार और बाजार हिस्सा खो रहा है ।

(vii) कास्टिक सोडा उद्योग ने देश में बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराया है । इस उद्योग में आई किसी रूग्णता से रोजगार पर बुरा असर पड़ेगा ।

(viii) भागीदार कंपनियों की लाभप्रदत्ता इन वर्षों में घट गई है और घाटे में तेजी से बढ़ोतरी हुई है ।

(ix) कास्टिक सोडा की मांग निरन्तर बढ़ती रही है तथा पिछले पांच वर्षों में इसमें काफी अधिक वृद्धि दर्ज हुई है ।

(x) संबद्ध देशों से इतर देशों से कास्टिक सोडा के आयात लगभग नगण्य या न्यूनतम अथवा घरेलू उद्योग को क्षति न पहुँचाने वाली कीमत पर हुए हैं ।

(xi) पहले ये आयात केवल अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत किए जाते थे और अब ये घरेलू मांग के अनुसार किए जा रहे हैं ।

2. निर्यातकों के विचार

पाटन के संबंध में

(क) मै0 डोव कैमिकल्स कंपनी, यू एस ए ने निम्नानुसार अनुरोध किया है ।

(i) मै0 डोव ने जांच अवधि के दौरान अगस्त, 1999 में भारत को कास्टिक सोडा की केवल एक निर्यात बिक्री की थी । चूँकि तुलना व्यापार के उसी स्तर, सामान्यतया कारखाना स्तर पर की जानी है, इसलिए मै0 डोव कैमिकल्स कंपनी ने केवल अगस्त, 99 के महीने के लिए बाजार बिक्री के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं ।

(ii) मै0 डोव कैमिकल्स ने समान पण्य वस्तु के लिए अपनी घरेलू बाजार कीमत से उच्च कीमत पर भारत को बिक्री की है ।

(ख) मै0 रोडिया (मै0 अलब्राइट एण्ड विल्सन अमेरिका इंक) यू एस ए ने निम्नानुसार अनुरोध किया है:-

(i) मै0 रोडिया ने जांच अवधि के दौरान भारत को कास्टिक का निर्यात नहीं किया है । इसके अलावा वे कास्टिक सोडा के उत्पादक और विक्रेता नहीं है बल्कि उसके क्रेता और उपभोक्ता हैं ।

(ग) सऊदी अरब में कास्टिक सोडा के उत्पादक मै0 सऊदी पेट्रो कैमिकल कंपनी (एस ए डी ए एफ) और मै0 सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन (एस ए बी आई सी) सऊदी अरब के कास्टिक सोडा के सहयोगी निर्यातक ने निम्नानुसार अनुरोध किए हैं और सूचना प्रस्तुत की है:-

(i) उत्पादक और निर्यातक, दोनों ने जांच अवधि के दौरान भारत को किए गए निर्यातों और घरेलू बाजार में की गई बिक्रियों के ब्यौरे उपलब्ध कराए हैं ।

(ii) सऊदी अरब में दो प्रकार की घरेलू बिक्रियों की जाती हैं अर्थात एक प्रकार की बिक्री *** /मी.टन से ***/मी.टन के रेंज में ट्रक भारों में लघु उपभोक्ताओं को की जाती है तथा दूसरे प्रकार की बिक्री में ऐसे थोक खरीददारों की आपूर्ति शामिल होती है जिनकी जरूरत पाइप लाइन से पूरी होती है और जो ***/मी.टन की रेंज में होते हैं । घरेलू उद्योग में अकेले पाइप लाइन ग्राहकों को की गई आपूर्ति की मात्रा की तुलना भारत में खरीददारों को आपूर्ति की गई समान मात्रा से किए जाने की जरूरत है । पाइप लाइन उपभोक्ताओं के साथ कीमत निर्धारण संबंधी व्यवस्था इस तरह से की जाती है कि उससे तुलनात्मक घरेलू और निर्यात बाजारों के बीच कीमत संबंधी कोई भेदभाव न रहे ।

(क) मै0 मित्सुई एण्ड कंपनी लि0, जापान ने निम्नानुसार अनुरोध किए हैं -

पाटन के संबंध में

(i) हम संबद्ध वस्तु के उत्पादक/विनिर्माता नहीं है किन्तु उसके निर्यातक व्यापारी हैं ।

(ii) निर्यातक ने सहायक नमूना साक्ष्य के साथ जांच अवधि के दौरान उनके द्वारा समायोजनों सहित भारत को किए गए निर्यातों के ब्यौरे उपलब्ध कराए हैं ।

(ड) अन्य संबद्ध देशों अर्थात् फ्रांस और इरान के किसी भी उत्पादक या निर्यातक ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है ।

3. आयातकों और उपयोक्ता एसोसिएशन के विचार

पाटन के संबंध में

(क) मै0 नाल्को ने निम्नानुसार अनुरोध किए हैं -

(i) घरेलू उद्योग इस स्थिति में नहीं है कि वह हमारी जरूरतों को पूरा कर सके और इसलिए हमे कास्टिक सोडा का आयात करना पड़ रहा है ।

(ii) कास्टिक सोडा की खरीद के लिए हम प्रत्येक दूसरे वर्ष वैश्विक प्रेस निविदा जारी करते हैं।

(iii) आयातक ने जांच अवधि के दौरान उनके द्वारा संबद्ध देशों से किए गए संबद्ध वस्तु के आयातो के ब्यौरे और सहायक नमूना साक्ष्य के साथ निर्धारित प्रारूप के अनुसार अन्य ब्यौरे उपलब्ध कराए हैं ।

(ग) मै0 ट्रांसपेक इंडस्ट्री लि0 ने निम्नानुसार अनुरोध किए हैं -

क्षति के संबंध में

(i) हमें अल्क-लीज मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा कास्टिक सोडा पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बारे में अनुरोध में कोई औचित्य दिखाई नहीं देता है । वस्तुतः एसोसिएशन का देश में कास्टिक सोडा और क्लोरिन दोनों की कीमतों पर दबदबा रहता है ।

(ii) देश में आयात किए गए कास्टिक सोडा द्रव की मात्रा घरेलू उद्योग की तुलना में काफी कम है ।

(iii) घरेलू उद्योग माने गए निर्यातों के अंतर्गत कास्टिक सोडा की पेशकश नहीं करता है जिससे उपभोक्ताओं के पास अपने उत्पादों के निर्यात के लिए निविष्टियों के आयात करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है ।

(iv) पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से कास्टिक सोडा के घरेलू उपयोक्ताओं को निश्चित रूप से नुकसान उठाना पडेगा और इससे उनका उत्पाद अव्यवहार्य बन जाएगा ।

(v) फर्म ने जांच अवधि के दौरान किए गए आयातों के ब्यौरे निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार उपलब्ध कराए हैं ।

(ग) **मै. दीपक नाइट्राइट ने निम्नलिखित अनुरोध किया है:**

(i) फर्म ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों अर्थात सऊदी अरब और फ्रांस से आयातित कास्टिक सोडा द्रव के ब्यौरे सहायक नमूना साक्ष्य के साथ प्रस्तुत किए हैं ।

(ग) **प्राधिकारी द्वारा जांच**

निर्यातकों, आयातकों, याचिकाकर्त्ता और अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए पूर्वोक्त अनुरोध की उस सीमा तक जांच की गई है और विचार किया गया है जिस सीमा तक नियमानुसार इन्हें संगत पाया गया है तथा जिस सीमा तक ये मामले पर प्रभाव डालते हैं और उन पर इन निष्कर्षों में समुचित स्थान पर कार्रवाई की गई है ।

1. **विचाराधीन उत्पाद**

मौजूदा जांच में विचाराधीन उत्पाद सऊदी अरब, इरान, जापान, यू एस ए और फ्रांस के मूल के या वहां से निर्यातित सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो आमतौर पर कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है । कास्टिक सोडा एक अकार्बनिक, साबुनी, अत्यधिक क्षारीय और गंधहीन रसायन है । कास्टिक सोडा का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में होता है जैसेकि लुगदी और कागज, अखबारी कागज, विस्कोस यार्न, स्टेपल फाइबर अल्यूमिनियम, सूत, वस्त्र, प्रसाधन व धुलाई का साबुन, डिटर्जेंट, रंजक, औषध एवं भेषज के विनिर्माण, पेट्रोलियम शोधन इत्यादि में । कास्टिक सोडा का उत्पादन दो रूपों अर्थात द्रव और ठोस रूप में होता है । मौजूदा जांच में कास्टिक सोडा के सभी रूप शामिल हैं ।

कास्टिक सोडा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के अधीन वर्गीकृत है । इसे आगे और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वर्गीकरण (सुमेलित वस्तु विवरण और कोडिंग प्रणाली पर आधारित) के अनुसार शीर्ष 2815.11 और 2815.12 के अधीन वर्गीकृत किया गया है । तथापि, यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और यह मौजूदा जांच के दायरे पर किसी रूप में बाध्यकारी नहीं है ।

2. **समान वस्तुएं**

याचिकाकर्त्ता ने दावा किया है कि उसके द्वारा उत्पादित वस्तु संबद्ध देशों में उत्पादित वहां की मूल की या वहां से निर्यातित वस्तु के समान वस्तु हैं । किसी भी हितबद्ध पक्ष ने कोई तर्क नहीं दिया है । इसलिए प्राधिकारी ने प्रारंभिक निष्कर्षो के प्रयोजन से नियम 2 (घ) के अर्थ के भीतर यह माना है कि याचिकाकर्त्ता द्वारा उत्पादित वस्तु संबद्ध देशों से आयातित वस्तु के समान वस्तु के रूप में समझा जा रहा है ।

3. **घरेलू उद्योग**

यह याचिका घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हुए मै. अल्कालीज मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएश्न ऑफ इंडिया ने दायर की है । भारत में कास्टिक सोडा के लगभग 92 घरेलू विनिर्माता हैं यह एसोसिएशन भारत में कास्टिक सोडा के सभी घरेलू विनिर्माताओं का प्रतिनिधित्व करती है । इसके अलावा 12 घरेलू उत्पादकों ने स्पष्ट रूप से इस याचिका का समर्थन किया है जिनका जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादन के 50 प्रतिशत से अधिक का हिस्सा बनता है । याचिका का किसी भी घरेलू उत्पादक ने विरोध नहीं किया है । इसलिए याचिकाकर्त्ता पाटनरोधी नियमों के नियम 2 (ख) और 5 (क) तथा (ख) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से याचिका दायर करने की स्थिति में है ।

4. **सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत**

धारा 9 (क)(I) (ग) के अंतर्गत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ है:

(i) समान वस्तु के लिए व्यापार के सामान्य रूप में तुलनीय मूल्य जब वह वस्तु निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के निमित हो जिसका निर्धारण उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार किया गया हो, या

(ii) जब व्यापार के सामान्य रूप में निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो या जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में विशेष बाजार स्थिति या बिक्री की कम मात्रा के कारण ऐसी बिक्री से उचित तुलना नहीं की जा सके तब सामान्य मूल्य इनमें से कोई एक होगा,

(क) समान वस्तु का तुलनात्मक प्रतिनिधि मूल्य जब उसका निर्यात निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी अन्य उचित देश से किया जाए जिसका निर्धारण उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार किया गया हो, या

(ख) उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत जिसमें प्रशासनिक बिक्री और सामान्य लागत तथा लाभ के लिए उपर्युक्त राशि जोड़ी गई हो जिसका निर्धारण उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार किया गया हो,

बशर्ते कि वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से इतर किसी देश से किया गया हो तथा जहां वस्तु को निर्यात वाले देश से होकर केवल यानान्तरित किया गया हो या ऐसी वस्तु का निर्यात वाले देश में उत्पादन नहीं किया जाता हो या निर्यात वाले देश में कोई भी तुलनात्मक कीमत नहीं हो तब सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में इसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा ।

निर्यातक-वार सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के निर्धारण का उल्लेख नीचे किया गया है ।

सऊदी अरब
सामान्य मूल्य

प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि उत्पादक अर्थात् मैसर्स सऊदी पैट्रो कैमिकल कं. (एस ए डी ए एफ) अपने विपणन सहयोगी अर्थात मैसर्स सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कारपोरेशन (एस ए बी आई सी) के जरिए घरेलू तौर पर बिक्री और निर्यात कर रहा है । प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि उत्पादक ने जांच अवधि के दौरान अपनी घरेलू बिक्रियों के ब्यौरे प्रदान किए हैं । प्राधिकारी आगे यह भी नोट करते हैं कि उत्पादक द्वारा की गई घरेलू बिक्रियों की दो विशिष्ट श्रेणियां हैं अर्थात ***/मी.टन से लेकर ***/मी.टन तक की मात्रा में लघु उपभोक्ताओं को की जाने वाली बिक्री और ***/मी.टन से लेकर ***/मी.टन तक की मात्रा में पाइपलाइन की आपूर्तियों के जरिए बड़े क्रेताओं को की जाने वाली बिक्री । प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि बड़े-बड़े ग्राहकों को पाइपलाइन के जरिए की गई आपूर्तियां की तुलना जांच अवधि के दौरान भारत को किए गए निर्यात सौदों की मात्रा से की जा सकती है । प्राधिकारी यह भी पाते हैं कि उत्पादक ने वर्ष 1998 और 1999 के लिए लेखा परीक्षित उत्पादन लागत उपलब्ध करवायी है । प्राधिकारी यह पाते हैं कि जांच अवधि के दौरान की गई अधिकांश घरेलू बिक्रियां उत्पादन लागत से कम कीमत पर की गई हैं और इसलिए वे व्यापार की समान्य प्रक्रिया में नहीं की गई है । अतः प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमों के अनुसार समान्य मूल्य के निर्धारण के लिए समुचित लाभ सहित

भारित औसत उत्पादन लागत का संदर्भ लिया है । यह कुछ ऐसे सौदों की घरेलू कीमत से भी मेल खाता है जो व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में किए गए हैं संबद्ध वस्तु का भारित औसत सामान्य मूल्य *** डालर बैठता है ।

कारखानागत निर्यात कीमत

प्राधिकारी नोट करते है कि उत्पादक अर्थात एस ए डी ए एफ अपने विपणन सहयोगी मैसर्स एस ए बी आई सी के जरिए भारत को निर्यात करता है निर्यातक ने जांच अवधि के दौरान भारत को किए गए निर्यात सौदों के ब्यौरे प्रदान किए हैं । प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि निर्यातक और उत्पादक के बीच की गई व्यवस्था के अनुसार निर्यातक अपने विपणन शुल्क समेत सभी कारखानागत खर्चे करता है और निवल का भुगतान वापस उत्पादक को कर देता है । प्राधिकारी ने कारखानागत निर्यात कीमत का मूल्यांकन करने के लिए समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कारखानागत लागत के बाद किए गए पत्तन संबंधी व्यय, विपणन व्यय, के संबंध में समायोजनों पर विचार किया है संबद्ध वस्तु की भारित औसत कारखानागत निर्यात कीमत *** डालर/मी.टन बैठती है ।

जापान

सामान्य मूल्य

प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि जापान के संबद्ध वस्तु के निर्यातक मैसर्स मित्सुई एंड क. ने प्रश्नावली का उत्तर दिया है । निर्यातक ने कहा है कि वह तीन उत्पादकों अर्थात मैसर्स असाही ग्लास क. लि., मैसर्स तोशो कारपारेशन और मैसर्स तोकुयामा कारपोरेशन द्वारा विनिर्मित सामानों का निर्यात कर रहा है । आयातकों में से एक आयातक से प्राप्त उत्तर के आधार पर प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जापान के व्यापारी मैसर्स मित्सुबिशी, ने भी उपरोक्तानुसार जांच अवधि में एक निर्यातक द्वारा विनिर्मित संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है । प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि इन निर्यातकों द्वारा यथा-निर्दिष्ट किसी भी उत्पादक ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है । अतः प्राधिकारी जापान में सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ उपलब्ध सूचना की सीमा तक उचित समायोजन करके भागीदार घरेलू उत्पादकों के बीच न्यूनतम उत्पादन लागत का संदर्भ लेना उचित समझते हैं । जापान में सामान्य मूल्य *** डालर/मी.टन माना जाता है ।

कारखानागत निर्यात कीमत

प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि मैसर्स मित्सुई एंड कं. ने जांच अवधि के दौरान भारत को किए गए निर्यातों का ब्यौरा दिया है । निर्यातक ने विदेशी भाड़े, समुद्री बीमा, नौवहन

प्रभारों,निकासी एवं हैंडलिंग बैंक प्रभारों,ब्याज,कमीशन और सेवा शुल्क के कारण क्रमशः ***,***,***,***,***,***,***, तथा *** डालर/मी.टन तक के समायोजनों का भी संकेत दिया है । प्राधिकारी ने आयातकों में से एक आयातक अर्थात मैसर्स नालको के प्रत्युत्तर के आधार पर और औसत समायोजनों के आधार पर जैसाकि मैसर्स मित्सुई एंड कंपनी द्वारा बताया गया है, निर्यातकों के लिए *** डालर प्रति मी.टन कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत का निर्धारण किया है ।

इरान

सामान्य मूल्य

प्राधिकारी नोट करते है कि इरान के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है । प्राधिकारी आयातकों में से एक आयातक नामतः मैसर्स नालको द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तरों से यह नोट करते हैं कि मैसर्स पैट्रो कैमिकल कमर्शियल कं. (पी सी सी) तेहरान,इरान द्वारा विनिर्मित वस्तु का निर्यात उसके व्यापारी मैसर्स बल्ली पैट्रो कैमिकल्स लि.,लंदन और मैसर्स एमगल्फ पोलिमर्स एंड कैमिकल्स लि., यू ए ई द्वारा भी किया गया है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्त्ता ने सऊदी अरब और इरान दोनों के लिए भारतीय उत्पादन लागत पर आधारित *** डालर/मी.टन की सीमा तक परिकलित सामान्य मूल्य के आधार पर सूचना प्रदान की है । इसलिए इरान से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिलने की स्थिति में प्राधिकारी ने इरान में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए सर्वोत्म उपलब्ध सूचना का संदर्भ लेना उपयुक्त माना है । चूंकि प्राधिकारी के पास सऊदी अरब में उपलब्ध संबद्ध वस्तु के उत्पादन लागत के ब्यौरे हैं इसलिए वह इरान के लिए उसी उत्पादन लागत का संदर्भ लेना उपयुक्त समझते है क्योंकि सऊदी अरब और इरान इन दोनों के उत्पादक मेम्ब्रेन प्रक्रिया की प्रौद्योगिकी उपयोग करके कास्टिक सोडा का उत्पादन करते है और ये दोनों देश भौगोलिक दृष्टि से समीपवर्त्ती होने के कारण तुलनीय हैं । इसलिए इरान में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों के लिए भारित औसत सामान्य मूल्य का संदर्भ *** डालर/मी.टन पर लिया गया है ।

कारखानाद्वार पर निर्यात कीमत

प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातकों में से एक आयातक नामतः मैसर्स नालको ने जांच अवधि में इरान से हुए संबद्ध वस्तु के आयातों के ब्यौरे दिए हैं । आयातक द्वारा उपलब्ध किए गए आकड़ों और याचिकाकर्त्ता द्वारा दिए गए आकड़ों के आधार पर प्राधिकारी ने समुद्री-भाड़ा, समुद्री बीमा और पत्तन खर्चों के संबंध में क्रमशः ***,*** और *** डालर/मी.टन की सीमा तक समायोजनों की अनुमति दी है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि एक व्यापारी के जरिए उक्त वस्तु का निर्यात किया जा रहा है जैसाकि उपर्युक्त पैरा में भी उल्लेख किया गया है । इसलिए प्राधिकारी

कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत का मुल्यांकन करने के उद्देश्य से कमीशन प्रभारों के कारण *** प्रतिशत का समायोजन प्रदान करते हैं । भारित औसत कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत *** डालर/मी.टन निकलती है ।

यू एस ए

सामान्य मूल्य

प्राधिकारी नोट करते हैं कि मैसर्स डोव कैमिकल्स कं. ने प्रश्नावली का उत्तर दिया है । मैसर्स डोव कैमिकल्स कं. ने बताया है कि उन्होंने जांच अवधि के दौरान अगस्त,99 में भारत को केवल एक निर्यात बिक्री की है । उन्होंने आगे और यह बताया है कि वह उपयुक्त यथार्थ तुलना करने के प्रयोजनार्थ अगस्त,1999 माह के दौरान घरलू बिक्री की आपूर्ति करेगा । तथापि, प्राधिकारी का मानना है कि उत्पादक को पूर्ण रूप से प्रश्नावली का प्रत्युत्तर देना आवश्यक है । तथापि, जैसाकि उत्पादक द्वारा बताया गया है घरेलू बिक्री के सौदों का भी कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है । ऐसी स्थिति में प्राधिकारी के पास यू एस ए में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य के संबंध में उत्पादक से प्राप्त कोई सूचना नहीं है । प्राधिकारी आगे नोट करते है कि याचिकाकर्त्ता ने भारतीय उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर परिकलित उत्पादन लागत पर आधारित यू एस ए में सामान्य मूल्य प्रस्तुत किया है । प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि याचिकाकर्त्ता ने गौण स्रोत क्लोर एल्काली में यथा-निर्दिष्ट यू एस ए में कास्टिक सोडा की तत्स्थानी कीमतें उपलब्ध की हैं । प्राधिकारी ने इस जांच में शामिल घरेलू उत्पादकों की न्यूनतम उत्पादन लागत के आधार पर यू एस ए मे सामान्य मूल्य का संदर्भ लेना उचित समझा है, और इसे गौण स्रोत अर्थात क्लोर एल्काली में दर्शाई गई संबद्ध वस्तु की तत्स्थानी कीमतों से भी सह संबद्ध किया है । यू एस ए में संबद्ध वस्तु का भारित औसत सामान्य मूल्य *** डालर/मी.टन बनता है ।

कारखाना द्वारा पर निर्यात कीमत

प्राधिकारी नोट करते है कि निर्यातक ने एक निर्यात बिक्री का ब्यौरा नहीं दिया है जो भारत को जांच अवधि के दौरान की गई है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है । प्राधिकारी ने आयातकों में से एक आयातक नामतः मैसर्स नालको द्वारा सूचित की गई निर्यात बिक्रियों को सी आई एफ का संदर्भ लिया है और व्यापारी को समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, पत्तन खर्चों और कमीशन के संबंध में क्रमशः ***,***,***,और *** डालर/ मी.टन की सीमा तक समायोजनों की अनुमति दी है, जैसाकि कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत का आकलन करने के लिए याचिकाकर्त्ता द्वारा बताया गया है । कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत *** डालर/मी.टन निकलती है ।

फ्रांस

सामान्य मूल्य

प्राधिकारी नोट करते हैं कि फ्रांस के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है । इसलिए, प्राधिकारी ने जांच में शामिल घरेलू उत्पादकों के बीच उचित लाभ के साथ न्यूनतम उत्पादन लागत के आधार पर फ्रांस में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का संदर्भ लिया है । जांच अवधि में संबद्ध वस्तु का भारित औसत सामान्य मूल्य *** डालर/मी.टन निकलता है ।

कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत

प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातकों में से एक आयातक अर्थात् मैसर्स ट्रांसपैक ने जांच अवधि में फ्रांस से भारत को हुए निर्यात की सी आई एफ कीमतों के ब्यौरे दिए हैं । प्राधिकारी ने कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत का निर्धारण करने के प्रयोजन से याचिकाकत्ता द्वारा बताए गए अनुसार ***, ***, *** और *** डालर/मी0टन की मात्रा तक कमीशन, पत्तन व्यय, समुद्री बीमा तथा समुद्री भाड़े के संबंध में समायोजन की अनुमति दी है । कारखाना द्वारा पर निर्यात कीमत *** डालर/मी0 टन बैठती है ।

5. पाटन-सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत की तुलना

तुलना संबंधी नियमों में नियमानुसार व्यवस्था है:-

"पाटन का मार्जिन निकालते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य के बीच एक उचित तुलना करेगा । यह तुलना व्यापार के एक समान स्तर पर सामान्यतया कारखाना द्वार स्तर पर की जाएगी और यथासंभव उसी समयावधि के दौरान की गई बिक्रियों के संबंध में की जाएगी । जो अंतर कीमत तुलनीयता पर प्रभाव डालते हैं उनके लिए प्रत्येक मामले में गुण दोष के आधार पर उचित छूट दी जाएगी । उक्त अंतर में बिक्री की शर्तें, कराधान व्यापार के स्तर, मात्राएं, भौतिक विशेषताएं तथा अन्य ऐसे अंतर शामिल हैं जो कीमत तुलनीयता को प्रभावित करने के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं ।"

प्राधिकारी ने सम्बद्ध देशों के सभी उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन का मूल्यांकन करने के प्रयोजनार्थ भारित औसत सामान्य मूल्य की तुलना भारित औसत निर्यात कीमत के साथ की है ।

निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन निम्नानुसार निकलता है:

निर्यातक	सामान्य मूल्य डालर/मी. टन	निर्यात कीमत डालर/मी. टन	पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के % के रूप में
यूएसए			
मैसर्स डोव कैमिकल कंपनी	*****	*****	147.46
अन्य सभी निर्यातक/उत्पादक	*****	*****	147.46
फ्रांस			
सभी निर्यातक/उत्पादक	*****	*****	300.66
ईरान			
सभी निर्यातक/उत्पादक	*****	*****	27.74
जापान			
सभी निर्यातक/उत्पादक	*****	*****	187.15
सऊदी अरब			
उत्पादक एसएडीएएफ के साथ एसएबीआईसी निर्यातक के रूप में	*****	*****	56.62
अन्य सभी निर्यातक/उत्पादक	*****	*****	149.32

6. क्षति एवं कारणात्मक संबंध

उपरोक्त नियम 11, अनुबंध-II के तहत जब क्षति के बारे में किसी निष्कर्ष पर पंहुचा जाता है तो इस प्रकार के निष्कर्ष में ".....पाटित आयातों की मात्रा, घरेलू बाजार में समान वस्तुओं की कीमतों पर उनके प्रभाव तथा इस प्रकार की वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निर्धारण शामिल होगा....." । कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय यह जांच करना आवश्यक समझा जाता है कि पाटित आयातों के कारण भारत में समान वस्तुओं की कीमत की तुलना कीमत में कोई उल्लेखनीय गिरावट आई है अथवा नहीं अथवा क्या इस प्रकार के आयातों से कीमतों में अन्यथा उल्लेखनीय स्तर तक गिरावट आई है, कीमत वृद्धि में अन्यथा रुकावट आई है जो कि अन्यथा उल्लेखनीय स्तर तक बढ़ गई होती ।

भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए हम उक्त नियमावली के अनुबंध-II (IV) के अनुसार ऐसे संकेतकों पर विचार कर सकते हैं जो उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालते हैं जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, भंडार, लाभ प्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति आदि ।

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि

क) पिछले वर्षों अर्थात् 97-98 और 96-97 से जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री तथा बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है । ये ब्यौरे निम्नानुसार हैं-

वर्ष	उत्पादन (मी0 टन में)	बिक्री (मी0 टन में)	बाजार हिस्सा (मी0 टन में)
1996-97	586486	646909	89.72
1997-98	654876	657029	83.38
जांच अवधि(वार्षिक)	760513	716809	88.31

ख) सम्बद्ध वस्तु की मांग 1996-97 में 622718 मी0 टन से बढ़कर 1997-98 में 692161 मी0 टन तथा जांच अवधि में बढ़कर 738247 मी0 टन (वार्षिक) तक हो गई है ।

ग) जांच अवधि (वार्षिक) में सम्बद्ध देशों से हुए आयातों की समग्र मात्रा 1997-98 में 115000मी0 टन से घटकर 76350 मी0 टन हो गयी हैं । तथापि, सम्बद्ध वस्तुओं के कुल आयातों में हिस्से की प्रतिशतता के रुप में सम्बद्ध देशों का हिस्सा 1997-98 के 76 % की तुलना में जांच की अवधि में बढ़कर 88.5 % तक सुधार हो गया है ।

घ) घरेलू उद्योग के लिए निवल बिक्री प्राप्ति 1996-97 में 11938 रु0/मी0 टन से घटकर 97-98 में 10067 रु0/मी0टन हो गई है और जांच अवधि में और अधिक घटकर वह 9855रु0/मी0टन हो गई है ।

ड.) जांच अवधि में घरेलू उद्योग के लिए निवल बिक्री प्राप्ति क्षतिरहित कीमत से कम रही है ।

च) घरेलू उद्योग ने 97-98 में *** रु0/मी0 टन का वित्तीय घाटा उठाया है जो कि जांच अवधि में बढ़कर *** रु0/मी0टन हो गया है ।

छ) चूंकि संबद्ध वस्तु की मांग बढ़ रही है और घरेलू उद्योग की क्षतिरहित बिक्री कीमत का आकलन कच्चे माल के सर्वोत्तम इस्तेमाल, उपभोज्य वस्तुओं एवं उपयोगिताओं के प्रसामान्यीकरण और बैंचमार्किंग करके इष्टतम उत्पादन लागत को ध्यान में रखकर किया गया है इसलिए घटी हुई निवल बिक्री प्राप्ति तथा वित्तीय घाटे से संबंधित संकेतकों से संचयी एवं समग्र रुप से यह सिद्ध होता है कि पाटन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति पंहुची है ।

7. **भारतीय उद्योग के हित एवं अन्य मुद्दे**

कुछ हितबद्ध पक्षों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से उत्पादकों द्वारा एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न कर दी जाएगी और इससे उपभोक्ता उद्योग पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वे घरेलू उद्योग की दया पर निर्भर हो जाएंगे । इसके अलांवा, कुछ हितबद्ध पक्षों ने यह उल्लेख किया है कि घरेलू उद्योग उनकी अपेक्षाओं के अनुसार माल की पूरी आपूर्ति नहीं करता है और वह माने गए निर्यातों के अंतर्गत संबद्ध वस्तु की पेशकश नहीं करता है । प्राधिकारी ने उपरोक्त तर्कों पर विचार किया है और यह माना है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य सामान्यतः उस पाटन को समाप्त करना है, जो घरेलू उद्योग को क्षति पंहुचा रहा है तथा भारतीय बाजार में खुली एवं समुचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थापित करना है जो कि देश के सामान्य हित में है । यह माना जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से सम्बद्ध वस्तुओं के उपयोग से विनिर्मित उत्पादों के कीमत स्तर प्रभावित होंगे और परिणामस्वरुप इन उत्पादों की तुलनात्मक प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रभाव पड़ सकता है । किन्तु, पाटनरोधी उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी । इसके विपरीत, पाटन द्वारा प्राप्त होने वाले अनुचित लाभों को समाप्त किया जा सकेगा, भारतीय उद्योग के ह्रास को रोका जा सकेगा और इस प्रकार सम्बद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प उपलब्ध रहेगा । पाटनरोधी उपायों से सम्बद्ध देशों से आयात किसी भी प्रकार कम नहीं होगें, इसलिए उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता पर कोई असर नहीं पड़ेगा ।

8. **पंहुच मूल्य**

इस उद्देश्य के लिए आयातों का पंहुच मूल्य सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1962 के अंतर्गत सीमाशुल्क विभाग द्वारा यथानिर्धारित आकलनीय मूल्य होगा उसमें सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3,3क, 8ख, 9,9क के अंतर्गत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सीमाशुल्क के लागू स्तर शामिल होंगे ।

9. **असहयोगी निर्यातकों का निर्धारण**

असहयोगी निर्यातकों (जिन्हें अन्य निर्यातकों की श्रेणी के रुप में दर्शाया गया है) के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि एसएडीएएफ तथा इसके सहयोगी निर्यातक एसएबीआईसी को

छोड़कर, संबद्ध वस्तु के किसी भी उत्पादनकर्त्ता ने अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है । इसलिए, प्राधिकारी ने याचिकाकर्त्ता द्वारा उपलब्ध करवाए गए आंकड़ों का संदर्भ लिया है और सामान्य मूल्य तथा कारखानागत निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए इसे जांच अवधि में न्यूनतम निर्यात कीमत के साथ सह-संबद्ध किया है । प्राधिकारी ने असहयोगी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु परिकलित लागत प्रणाली अपनाई है ।

घ. **निष्कर्ष**

पूर्वोक्त पर विचार करने के पश्चात यह देखा गया है, कि:

क. संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सभी रुपों में संबद्ध वस्तु का उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर भारत को निर्यात किया गया हैं ।

ख. पाटित संबंद्ध वस्तु की कम पहुंच कीमतों के कारण हुई कीमत घटोतरी की वजह से घटी हुई निवल बिक्री प्राप्ति के कारण वित्तीय घाटे के रुप में घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पंहुची है।

ग. संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति पंहुची है ।

घ. प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित अध्याय 28 के अंतर्गत आने वाली संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ।

ड. पाटन मार्जिन के बराबर पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने पर विचार किया गया था ताकि पाटन के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर किया जा सके । तदनुसार, यह प्रस्ताव किया जाता है कि अंतिम निर्धारण होने तक सीमाशुल्क टैरिफ के अध्याय 28, सीमाशुल्क उपशीर्ष 2815.11 तथा 2815.12 के अंतर्गत आने वाली सउदी अरब, इरान, जापान, यूएसए तथा फ्रांस के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए । पाटनरोधी शुल्क नीचे कॉलम 3 मे उल्लिखित राशि तथा डालर/मी0टन में आयातों के पंहुच मूल्य के बीच का अंतर होगा ।

क्रम सं.	निर्यातक/उत्पादक का नाम	राशि (अमरीकी डालर/मी. टन)
1.	**यूएसए**	
	मैसर्स डोव कैमिकल कंपनी	345.44
	अन्य सभी निर्यातक/उत्पादक	345.44
2.	**फ्रांस**	
	सभी निर्यातक/उत्पादक	307
3.	**ईरान**	
	सभी निर्यातक/उत्पादक	269.75
4.	**जापान**	
	सभी निर्यातक/उत्पादक	347.11
5.	**सऊदी अरब**	
	उत्पादक एसएडीएएफ निर्यातक के रूप में एयएबीआईसी के साथ	270.68
	अन्य सभी निर्यातक/उत्पादक	256.38

ड. आगे की प्रक्रिया

प्रारम्भिक निष्कर्षों को अधिसूचित किए जाने के बाद निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगाः

क. प्राधिकारी इन निष्कर्षों के संबंध में सभी हितबद्ध पक्षों के विचार आमंत्रित करेंगे और अंतिम निष्कर्षों में उन पर विचार किया जाएगा ;

ख. निर्यातकों, आयातकों, याचिकाकर्त्ता तथा संबंद्ध समझे जाने वाले अन्य हितबद्ध पक्षों को प्राधिकारी द्वारा अलग से लिखा जा रहा है जो कि इस पत्र को भेजने की तिथि से चालीस दिनों के भीतर अपने विचारों से अवगत करवा सकते हैं । कोई अन्य हितबद्ध पक्ष भी इन निष्कर्षों के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों के भीतर अपने विचारों से अवगत करवा सकता है ।

ग. प्राधिकारी आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन करेंगे ।

घ. प्राधिकारी द्वारा मौखिक अनुरोध हेतु सभी हितबद्ध पक्षों को अवसर प्रदान किया जाएगा जिसके संबंध में सभी ज्ञात हितबद्ध पार्टियों को तारीख और समय की सूचना अलग से दी जाएगी।

ड. प्राधिकारी अंतिम निष्कर्ष घोषित करने से पूर्व आवश्यक तथ्यों का खुलासा करेंगे ।

एल. वी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)
NOTIFICATION
New Delhi, the 16th November, 2000
Preliminary Findings

Sub: Anti-Dumping Investigation concerning import of Sodium Hydroxide commonly known as Caustic Soda from Saudi Arabia, Iran, Japan, USA and France

56/1/99-DGAD.— Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof:

A. PROCEDURE

1. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

i) The Designated Authority (hereinafter also referred to as Authority), under the above Rules, received a written application from the Petitioner M/s Alkali Manufacturers Association of India (AMAI) on behalf of domestic industry, alleging dumping of Sodium Hydroxide commonly known as Caustic Soda (hereinafter also referred to as subject goods) originating in or exported from Saudi Arabia, Iran, Japan, USA, France, Indonesia and Pakistan.

ii) Preliminary scrutiny of the application filed by the petitioner revealed certain deficiencies, which were subsequently rectified by the petitioner. The petition was, therefore, considered as properly documented.

iii) The Authority on the basis of sufficient evidence submitted by the petitioner decided to initiate the investigation against imports of subject goods from Saudi Arabia, Iran, Japan, USA and France (hereinafter referred to as subject countries). The imports of subject goods from Indonesia were observed to be deminimus and no substantive evidence on imports of subject goods from Pakistan was furnished by the petitioner and hence both the subject countries were excluded from the scope of the present anti-dumping investigations. The authority notified the Embassies of Saudi Arabia, Iran, Japan, USA and France in New Delhi about the receipt of dumping allegation before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-Rule 5(5) of the Rule.

iv) The Authority issued a public notice dated 26.5.2000 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti-dumping investigations concerning imports of the subject goods classified under custom Code 2815.11 and 2815.12 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975 originating in or exported from Saudi Arabia, Iran, Japan, USA and France.

v) The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known exporters (whose details were made available by petitioner) and industry associations and gave them an opportunity to make their views known in writing in accordance with the Rule 6(2):

vi) The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known importers (whose details were made available by petitioner) of subject goods in India and advised them to make their views known in writing within forty days from the date of issue of the letter.

vii) Request was made to the Central Board of Excise and Customs (CBEC) to arrange details of imports of subject goods made in India during the past three years, including the period of investigation.

viii) The Authority provided a copy of the petition to the known exporters and the Embassies of the subject countries in accordance with Rules 6(3) supra. A copy of the petition was also provided to other interested parties, wherever requested.

ix) The Authority sent a questionnaire to elicit relevant information to the following known exporters/producers, in accordance with the Rule 6(4):

1. M/s Dow Chemicals Co., USA
2. M/s Mitsui & Co. Ltd., Japan
3. M/s SABIC, Saudi Arabia
4. M/s Elf Atochem, France
5. M/s Shiraj Chlor Alkali, Iran
6. M/s Bandar Imam Project, Iran

x) The Embassies of the subject countries in New Delhi were informed about the initiation of the investigation in accordance with Rule 6(2) with a request to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time. A copy of the letter, petition and questionnaire sent to the exporters was also sent to the Embassies of the subject countries alongwith a list of known exporters/producers.

xi) A questionnaire was sent to the following known importers/user associations of the subject goods for necessary information in accordance with Rule 6(4):

1. M/s Abhey Chemicals Ltd., Baroda
2. M/s Albright Wilson Chemical Ltd., Mumbai
3. M/s Arvind Mills Ltd., Ahmedabad
4. M/s Birla Cellulose Ltd., Bharuch
5. M/s Central Pulp Mills Ltd., Delhi

6. M/s Deepak Nitrite Ltd., Nandesari
7. M/s Godrej Soaps Ltd., Mumbai
8. M/s Gujarat electricity Board, Vadodara
9. M/s Gujara Narmada Fertilizers Co. Ltd., Bharuch
10. M/s Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd.,Vadodara
11. M/s Hindustan Lever Ltd., Mumbai
12. M/s ICI India Ltd., Valsad
13. M/s Indian Farmer Fertilizers Coop. Ltd., Gandhinagar
14. M/s Indian Oil Corporation Ltd., Vadodara
15. M/s Indian Petrochemicals Corporation Ltd., Vadodara
16. M/s Jaysynth Dyechem Ltd., Mumbai
17. M/s Link Pharma Ltd., Baroda
18. M/s Meghmani Organics Ltd., Ahmedabad
19. M/s Narmada Chematur Petrochemicals Ltd., Bharuch
20. M/s Nirma Ltd., Ahmedabad
21. M/s PAB Chemicals (P) Ltd., Baroda
22. M/s Rama News Prints & Papers Ltd., Surat
23. M/s Rubamin Ltd., Baroda
24. M/s Sabero Organics Ltd., Mumbai
25. M/s Torrent Gujarat Bio-tech Ltd., Baroda
26. M/s Transpek Industries Ltd., Vadodara

Response/information to the questionnaire/notification was filed by the following exporters/producers:

1. M/s Dow Chemicals Co.,USA
2. M/s Mitsui & Co. Ltd., Japan
3. M/s Saudi Petro Chemical Co. (SADAF), Saudi Arabia and its associated exporter M/s Saudi Basic Industries Corpn. (SABIC), Saudi Arabia

Response/information to the questionnaire/notification was filed by the following Importers/user Associations:

1. M/s National Aluminium Co. Ltd. (NALCO)
2. M/s Transpek Industry Ltd.
3. M/s Deepak Nitrite Ltd.

xii) Additional information regarding injury and product under consideration was sought from the petitioner(s), which was also furnished. The information on injury and cost of production was provided by the petitioner.

xiii) The Authority kept available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file maintained by the Authority and kept open for inspection by the interested parties;

xiv) Cost investigation was also conducted to work out optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and the information furnished by the petitioner. The cost data of the following domestic producers was considered and analysed:--

1. M/s DCW Limited, Tamil Nadu
2. M/s Shriram Alkalies & chemicals, New Delhi
3. M/s The Andhra Sugars Ltd., Andhra Pradesh
4. M/s Punjab Alkalies & chemicals Ltd., Chandigarh
5. M/s Gujarat Alkalies & chemicals Ltd., Vadodara
6. M/s SIEL chemical Complex, New Delhi
7. M/s Search Chem Industries Ld., Bharuch
8. M/s Bihar Caustic
9. M/s Jay Shree Chemicals Ltd., Calcutta
10. M/s Indian Rayon
11. M/s Grasim Industries Ltd., Nagda, MP
12. M/s Standard Alkalies

xv) ****in this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

xvi) Investigation was carried out for the period starting from April, 1998 to Sept., 1999 (18 months) i.e. the period of investigation (POI).

xvii) Extension to file information upto 23.7.2000 was also granted by the authority on request of certain interested parties.

B . VIEWS OF EXPORTERS, IMPORTERS AND OTHER INTERESTED PARTIES

1. PETITIONER'S VIEWS

a) ON PRODUCT UNDER CONSIDERATION

i) Sodium Hydroxide, commonly known as Caustic Soda is an inorganic, soapy, strongly alkaline and odourless chemical. It finds application in various fields like manufacture of pulp and paper, newsprint, viscose yarn, staple fibre, aluminium, cotton, textiles, toilet and laundry soaps, detergent, dyestuffs, drugs and pharmaceuticals, petroleum refining etc. Caustic soda is produced in two forms, i.e. lye and solids, and is classified under chapter 28 of the customs Tariff Act, 1975. It is further classified as per International Trade Classification (based on Harmonized Commodity Description and Coding System) under the heading 2815.11 and 2815.12.

b) ON DOMESTIC INDUSTRY

i) M/s Alkalies Manufacturers Association of India (AMAI) represents the domestic industry. There are about 42 domestic manufacturers of caustic soda in India. The petition has been explicitly supported by 12 domestic producers. The petitioner companies represent more

than 50% of the domestic production of subject goods in the POI.

b) ON LIKE ARTICLE

i) There is no viable substitute for caustic soda.

ii) Caustic soda is produced by three processes viz. Mercury cell, Diaphram and Membrane Cell process. The difference in process does not mean any difference in the product in terms of its physical and chemical properties, product specitfications, marketing, pricing, consumer perceptions, tariff classification etc. All the three technologies are being used by the industries in India for manufacturing Caustic Soda. However, mercury cell technology and membrane cell technology is being widely used in India. Also there is no significant difference in the production by the three processes There is no difference in the caustic soda produced by the Indian industry and that imported from the subject countries which can have an impact on the price. The two products are technically and commercially substitutable and the consumers use them interchangeably.

iii) The goods produced by the domestic industry are like articles to the goods produced, originating in or exported from the subject countries.

D) ON DUMPING

i) The ex-factory realisation of export price of US$ 115/MT comes to approximately US$55/MT and by no means can be considered as sufficient to recover the production cost. Evidently the foreign producers from the subject countries have resorted to dumping of caustic soda in the India market.

E) ON INJURY

i) Caustic soda is produced by about 42 companies in India. The country is largely self sufficient in its requirement of this critical material.

ii) With the steep decline in the export sales, the landed price of imports which was already below the fair price in the market has declined significantly below the selling price of the industry.

iii) There has been significant decline in the export price during the investigation period.

iv) Though there has been increase in the sales, it is to be seen along with the prices at which the domestic industry has been selling its products and the price under-cutting, price suppression and price depression effect which the dumped imports have in the Indian market. The landed prices of imports from the subject countries are significantly below the selling prices of the Indian industry resulting in severe price under-cutting. The dumped imports from the subject countries are the sales loss by the domestic industry.

v) The material injury has been subjected by the Indian industry as is evident from the reduction in the selling price in the Indian market. The imports are very severely under-cutting the prices of the domestic industry.

vi) The domestic industry is losing market and the market share.

vii) The caustic soda industry has provided very large scale employment in the country. Any sickness in the industry will have crippling effect on the employment.

viii) The profitability of the participating companies has deteriorated over the years and the losses have increased steeply.

ix) The demand of caustic soda has been increasing continuously and has registered significant growth over the past five years.

x) The imports of caustic soda from countries other than the subject countries are almost negligible or deminimus or at prices not causing injury to the Indian industry.

xi) The imports were earlier only under Advance licences category and are now coming against domestic demand also.

2. EXPORTER'S VIEWS

ON DUMPING

a) M/s Dow Chemicals Co., USA has made the following submissions:-

i) M/s DOW had only one export sale of caustic soda to India during the POI in August, 1999. Since the comparison has to be made at the same level of trade normally at the ex-factory level, M/s DOW Chemicals Co. submits market sales data for the month of August, 99 only.

ii) M/s DOW Chemicals has sold to India at prices above its domestic home market price for the identical merchandise.

b) M/s Rhodia (M/s Albright & Wilson Americas Inc.), USA has made the following submissions:-

i) M/s Rhodia have not exported to India caustic during the POI. Further they are not a producer or seller of caustic soda rather a purchaser and consumer of caustic soda.

c) M/s Saudi Petro Chemical Co. (SADAF) , producer of caustic soda in Saudi Arabia and M/s Saudi Basic Industries Corpn. (SABIC), the associated exporter of Caustic soda from Saudi Arabia has made the following submissions and submitted information:--

i) Both the producer and the exporter have provided details of the exports made to India and in the domestic market during the POI.

ii) There are two types of domestic sales in Saudi Arabia viz. one types of sales to small customers who buy in truck loads in the range of ***/MT to ***/MT and the second type of sales which involve supply to bulk buyers whose requirement is met from pipeline supply and are in the range of ***/MT. The Quantity supplied to the pipeline customers alone in the domestic industry needs to be compared to the matching quantity supplied to the buyers in India. The Pricing agreement with the pipeline customers are so as there is no price discrimination between the comparable domestic and export markets.

a) M/s Mitsui & Co. Ltd., Japan has made the following submissions:-

ON DUMPING

i) We are not the producer/manufacturer of the subject goods but are merchant exporters.

ii) The exporter has provided details of the exports made with adjustments by them to India during the POI with supportive sample evidence.

e) None of the producers or exporters from the other subject countries viz. France and Iran have responded to the questionnaire.

3. VIEWS OF IMPORTERS AND USER ASSOCIATION

ON DUMPING

a) M/s NALCO has made the following submissions:-

i) The domestic industry is not in a position to meet our requirements and, therefore we have to resort to import of Caustic Soda.

ii) For procurement of caustic soda , we follow global press tender every alternate year.

iii) The importer has provided details of imports of subject goods from the subject countries made by them during the investigation period and other details as per the prescribed proforma with supportive sample evidence.

c) M/s Transpek Industry Ltd. has made the following submissions:-

ON INJURY

i) We do not find any justification in the Alkalies Manufacturer Association's request for imposition of anti-Dumping duty on caustic soda. In fact, the Association dictates the price for both caustic soda and Chlorine in the country.

ii) The amount of caustic soda lye imported in the country is very small as compared to the domestic industry

iii) Domestic industry do not offer caustic soda under deemed exports thereby leaving no option with users but to import inputs for exports of their product.

iv) The domestic users of caustic soda by way of levy of the anti-dumping duty will definitely be hurt and would make their products un-viable.

v) The firm has provided details on imports made during the period of investigation as per the prescribed proforma.

c) M/s Deepak Nitrite has made the following submissions:

i) The firm has provided details of the caustic soda lye imported by them during the POI from subject countries viz. Saudi Arabia and France with supportive sample evidence.

C. EXAMINATION BY AUTHORITY

The foregoing submissions made by the exporters, the importers, the petitioner and other interested parties, to the extent these are relevant as per Rules and have a bearing upon the case, have been examined and considered and dealt with at appropriate places in these findings.

1. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

The product under consideration in the present investigation is Sodium Hydroxide, commonly known as Caustic Soda originating in or exported from Saudi Arabia, Iran, Japan, USA and France. Caustic soda is an inorganic, soapy, strongly alkaline and odourless chemical. Caustic soda finds application in various fields like manufacture of pulp and paper, newsprint, viscose yarn, staple fibre, aluminium, cotton, textiles, toilet and laundry soaps, detergent, dyestuffs, drugs and pharmaceuticals, petroleum refining etc. Caustic soda is produced in two forms, i.e. lye and solids. The present investigation covers all forms of caustic soda.

Caustic soda is classified under chapter 28 of the customs Tariff Act, 1975. It is further classified as per International Trade Classification (based on Harmonized Commodity Description and Coding System) under the heading

2815.11 and 2815.12. The classification, is however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

2. LIKE ARTICLE

The petitioner has claimed that goods produced by them are like articles to the goods produced, originating in or exported from the subject countries. There are no arguments by any of the interested parties. The authority, for the purpose of preliminary findings, therefore, considers the goods produced by the petitioner are being treated as like articles to the goods imported from the subject countries within the meaning of the Rules 2(d).

3. DOMESTIC INDUSTRY

The petition has been filed by the M/s Alkalies Manufacturers Association of India representing the domestic industry. There are about 42 domestic manufacturers of caustic soda in India. The Association represents all the domestic manufacturers of caustic soda in India. Further the petition has been explicitly supported by 12 domestic producers, who represent more than 50% of the domestic production of subject goods in the POI. The petition has no opposition from any of the domestic producers. The petitioner, therefore have the standing to file the petition on behalf of the domestic industry as per Rule 2(b) and 5(a) and (b) of the Anti-Dumping Rules.

4. NORMAL VALUE & EXPORT PRICE

Under Section 9A(1)(c), normal value in relation to an article means:

(i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:-

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section(6);

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

The exporter-wise normal value and export price determination is illustrated below.

SAUDI ARABIA

Normal Value

The authority notes that the producer Viz. M/s Saudi Petro Chemical Co. (SADAF) is selling both domestically and exporting through its marketing arm viz. M/s Saudi Basic Industries Corpn. (SABIC). The authority notes that the producer has provided details of their domestic sales during the POI. The authority further notes that there are two distinct categories of domestic sales made by the producer viz. to the small customers in the range of ***/MT to ***/MT and to the large buyers through pipeline supplies in the range of ***/MT to ***/MT. The authority notes that the supplies through pipeline to the large customers are comparable with the size of the export transactions during the POI to India. The authority also observes that the producer has provided the audited cost of production for the year 1998 and 1999. The authority observes that majority of the domestic sales made during the POI are below the Cost of production and are, therefore, not in the ordinary course of trade. The authority, therefore, as per the Anti-Dumping Rules has referenced weighted average cost of production with appropriate profit for determination of the normal value. This also reconciles with the domestic price of a few transactions which are in ordinary course of trade. The weighted average normal value of the subject goods comes to ***$/MT.

Ex-factory export price

The authority notes that the producer M/s SADAF exports to India through its marketing arm M/s SABIC. The exporter has provided details of export transactions to India during the POI. The authority notes that as per the arrangement between he producer and the exporter, the exporter incurs all ex-factory expenses including their marketing fee and pays the net backs to the producer. The

authority has considered adjustments on ocean freight, ocean insurance, port expenses, marketing expenses incurred after ex-factory for evaluating the ex-factory export price. The weighted average ex-factory export price of subject goods comes to ***$/MT.

Japan

Normal value

The authority notes that only M/s Mitsui and Co., the exporter of the subject goods from Japan has responded to the questionnaire. The exporter has stated that they are exporting the goods manufactured by three producers viz. M/s Asahi Glass Co. Ltd., M/s Tosho Corporation and M/s Tokuyama Corporation. The authority on the basis of the response from one of the importers notes that M/s Mitsubishi, the trader from Japan has also exported the subject goods manufactured by one of the producers as indicated above during the POI. The authority notes that none of the producers as indicated by these exporters have responded to the questionnaire. The authority, therefore, considers it appropriate to reference the lowest cost of production amongst the participating domestic producers with appropriate adjustments to the extent the information is available for the purpose of determination of the normal value in Japan. The normal value in Japan is considered as ***$/MT.

Exfactory export Price

The authority notes that M/s Mitsui & Co. has provided details of the exports made to India during the POI. The exporter has also indicated adjustments on account of overseas freight, ocean insurance, shipping charges, clearance and handling, bank charges, interest, commission and service

fee to an extent of ***, ***, ***, ***, ***, ***,*** &*** $/MT respectively. The authority on the basis of response from one of the importers viz. M/s NALCO and on the basis of the average adjustments as indicated by M/s Mitsui & Co. evaluated the ex-factory export price for the exporters as ***$/MT.

Iran

Normal value

The authority notes that none of the producers/exporters from Iran have responded to the Questionnaire. The authority notes from the responses submitted by one of the importers viz. M/s NALCO that the goods manufactured by M/s Petro Chemical Commercial Co. (PCC), Tehran, Iran have been exported by its trader M/s Balli Petro Chemicals Ltd., London and also by M/s Amgulf Polymers and Chemicals Ltd., UAE. The authority notes that the petitioner has provided information on the basis of constructed normal value based on Indian cost of production for both Saudi Arabia and Iran to an extent of ***$/MT. In event of no response from Iran the authority, therefore, considers it appropriate to reference the best available information for determination of the normal value of subject goods in Iran. The authority since has the details on the cost of production of the subject goods available in Saudi Arabia, considers it appropriate to reference the same cost of production for Iran since producers in both these countries, Saudi Arabia and Iran are producing caustic soda by using membrane process technology and being geographically contiguous are comparable. The weighted average normal value for the producers of the subject goods in Iran, therefore, is referenced at ***$/MT.

Exfactory export price

The authority notes that one of the importers viz. M/s NALCO has provided details of the imports of subject goods made from Iran in the POI. The authority has allowed adjustments on ocean freight, ocean insurance, and port expenses to an extent of ***, *** & ***$/MT respectively on the basis of the data made available by the importer and provided by the petitioner. The authority notes that the goods are being exported through a trader as also indicated in the foregoing para. The authority has, therefore, provided adjustment of ***% on account of the commission charges for the purpose of evaluation of the ex-factory export price. The weighted average ex-factory export price comes to ***$/MT.

USA

Normal value

The authority notes that M/s Dow Chemicals Co. have responded to the questionnaire. M/s Dow Chemicals Co. have indicated that they have made only one export sale to India in August, 99 during the POI. They have further indicated that they would supply the domestic sale during the month of August, 1999 for the purpose of an appropriate apple to apple comparison. However, the authority holds that the producer needs to reply to the questionnaire in totality. However, not even the domestic sale transactions as indicated by the producer have been provided. The authority in this event does not have any information from the producer on the normal value of the subject goods in USA. The authority further notes that the petitioner has provided the normal value in USA based on the constructed cost of production on the basis of the cost of production of the Indian industry. 'The authority also notes that the petitioner has provided the spot prices of

the Caustic Soda in USA as indicated in the secondary source Chlor Alkali. The authority considers it appropriate to reference the normal value in USA on the basis of the lowest cost of production of the participating domestic producers in the investigation, as also co-related with the spot prices of the subject goods reflected in the secondary source i e. Chlor Alkali. The weighted average normal value of subject goods in USA comes to ***$/MT.

Exfactory export price

The authority notes that the exporter has not provided the details of the one export sale as indicated above made to India in the POI. The authority has referenced the CIF of the export sales reported by one of the importers viz. M/s NALCO and has allowed adjustments on account of ocean freight, ocean insurance, port expenses and commission to the trader to an extent of ***, ***, *** & ***$/MT respectively as indicated by the petitioner to evaluate the ex-factory export price. The ex-factory export price comes to ***$/MT.

France

Normal value

The authority notes that none of the producers/exporters from France have responded to the questionnaire. The authority, therefore, has referenced the normal value of the subject goods in France on the basis of the lowest cost of production with reasonable profit amongst the domestic producers participating in the investigation. The weighted average normal value of the subject goods in the POI comes to ***$/MT.

Exfactory export price

The authority notes that one of the importers viz. M/s Transpek has provided details of the CIF prices of exports from France in POI to India. The authority has allowed adjustments on commission, port expenses, ocean insurance and ocean freight to an extent of ***, ***, *** & ***$/MT as indicated by the petitioner for the purpose of the evaluation of the ex-factory export price. The ex-factory export price comes to ***$/MT.

5. DUMPING-Comparison of Normal Value & Export Price

The rules relating to comparison provides as follows:

"While arriving at margin of dumping, the Designated Authority shall make a fair comparison between the export price and the normal value. The comparison shall be made at the same level of trade, normally at ex-works level, and in respect of sales made at as nearly possible the same time. Due allowance shall be made in each case, on its merits, for differences which affect price comparability, including differences in conditions and terms of sale, taxation, levels of trade, quantities, physical characteristics, and any other differences which are demonstrated to affect price comparability."

The authority has carried out weighted average normal value comparison with the weighted average export price, for evaluation of the dumping margin for all the producers of the subject countries.

The dumping margin for exporters comes as under:

Exporter	Normal value(NV) $/MT	Export Price(EP) $/MT	Dumping margin as % of EP
USA			
M/s Dow chemical Co.	*****	*****	147 46
All other exporters/ producers	*****	*****	147 46
France			
All exporters/ producers	*****	*****	300.66
Iran			
All exporters/ producers	*****	*****	27 74
Japan			
All exporters/ producers	*****	*****	187 15
Saudi Arabia			
Producer SADAF with SABIC as the exporter	*****	*****	56 62
All other exporters/ producers	*****	*****	149 32

6. INJURY AND CAUSAL LINK

Under Rule 11 supra, Annexure-II, when a finding of injury is arrived at, such finding shall involve determination of the injury to the domestic industry, ".....taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...." In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to

depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, we may consider such indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilisation, sales quantum, stock, profitability, net sales realisation, the magnitude and margin of dumping, etc. in accordance with Annexure II(iv) of the rules supra.

The Authority notes that

a) The production, sales and market share of the domestic industry has increased in POI from the past years i.e. 97-98 and 96-97. The details are as under :--

Year	Production (in MT)	Sales (in MT)	Market Share (in MT)
1996-97	586486	646909	89.72
1997-98	654876	657029	83.38
POI(Annualised)	760513	716809	88.31

b) The demand of the subject goods has increased from 622718 MT in 96-97 to 692161 MT in 97-98 and to 738247 MT in POI (anualised).

c) Absolute values of imports in POI (annualised) from subject countries has decreased to 76350/MT from 115000MT in 97-98. However, as percentage of share in total imports of subject goods, the subject countries have improved their share to 88.5% in POI as compared to 76% in 97-98.

d) The Net Sales Realisation (NSR) for the domestic industry has reduced from Rs. 11938/MT in 96-97 to Rs. 10067/MT in 97-98 and further to Rs. 9855/MT in POI.

e) The Net Sales Realisation (NSR) has been below the non-injurious price (NIP) for the domestic industry in the POI.

f) The domestic industry has made financial losses to an extent of Rs. ***/MT in 97-98 which have increased to Rs. ***/MT in POI.

g) As the demand of the subject goods is rising and the non-injurious selling price for the domestic industry has been evaluated by considering the optimum cost of production by normating and benchmarking the best utilisation of raw materials, consumables and utilities, the indicators on depressed NSR and financial losses cumulatively and collectively establish that domestic industry has suffered material injury on account of dumping.

7. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

It has been argued by certain interested parties that with the levy of anti-dumping duties, the producers will create a monopolistic situation and that this will affect the user industry as they will be at mercy of the domestic industry. Also certain interested parties have indicated that the domestic industry does not supply fully to their requirement and do not offer the subject goods under deemed exports. The authority has considered the above arguments and holds that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate dumping, which is causing injury to the domestic industry and to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.

The authority recognises that though the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the products manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products, however, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by the dumping practices and would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice of the subject goods to the consumers. Imposition of anti-dumping measures would also not restrict imports from the subject countries in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.

8. LANDED VALUE

The landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by the customs under Customs Tariff Act, 1962 and applicable level of custom duties except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

9. ASSESSMENT OF NON-COOPERATING EXPORTERS

For the non-cooperating exporters (indicated as other exporters category), the authority notes that except SADAF and its associated exporter SABIC none of the producers of the subject goods have provided the required information. The authority has, therefore, referenced the data furnished by the petitioner as also co-related the same with the lowest export price in the POI for determination of the normal value and ex-factory export price. The authority has adopted the constructed cost methodology for determination of the normal value for the non-cooperating exporters.

D. CONCLUSIONS:

It is seen, after considering the foregoing, that:

a) The subject goods in all forms originating in or exported from the subject countries have been exported to India below its normal value.

b) The domestic industry has suffered material injury by way of financial losses due to depressed NSR on account of price depression caused by low landed prices of the dumped subject goods.

c) The injury has been caused to the domestic industry by dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

d) The authority recommends anti-dumping duty on imports of subject goods falling under Chapter 28 originating in or exported from the subject countries.

e) It was considered to recommend the amount of anti-dumping duty equal to the margin of dumping so as to remove the injury to the domestic industry accrued on account of dumping. Accordingly, it is proposed that provisional anti dumping duties be imposed, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, on all imports of subject goods originating in or exported from Saudi Arabia, Iran, Japan, USA and France falling under Chapter 28 Customs sub-heading 2815.11 and 2815.12 of the Customs Tariff, pending final determination. The anti-dumping duty shall be the difference between the amounts mentions in column 3 below and the landed value of imports in $/MT.

1	2	3
Sl. No.	Name of the exporter/producer	Amount (US$/MT)
1.	**USA**	
	M/s Dow chemicals Co.	345.44
	All other exporters/producers	345.44
2.	**France**	
	All exporters/producers	307
3.	**Iran**	
	All exporters/producers	269.75
4.	**Japan**	
	All exporters/producers	347.11
5.	**Saudi Arabia**	
	Producer SADAF with SABIC as the exporter	270.68
	All other exporters/producers	256.38

E. FURTHER PROCEDURE

The following procedure would be followed subsequent to notifying the preliminary findings:

a. The Authority invites comments on these findings from all interested parties and the same would be considered in the final findings;

b. Exporters, importers, petitioner and other interested parties known to be concerned are being addressed separately by the Authority, who may make known their views, within forty days from the date of the

despatch of the letter. Any other interested party may also make known its views within forty days from the date of publication of these findings;

c. The Authority would conduct verifications to the extent deemed necessary;

d. The Authority would provide opportunity to all interested parties for oral submissions, for which the date and time shall be communicated to all known interested parties separately;

e. The Authority would disclose essential facts before announcing final findings.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054